

1
2/51

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

११४ निगरानी R-3034-II/14

श्री एस. के. कावराज,
द्वारा आज दि. 10-9-14 को
प्रस्तुत

कलक ऑफिस कट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

33372A
9/10/14

- १- राजकुमार
- २- सन्तकुमार
- ३- नीतराज

पुत्राण नरक सिंह रावत,
निवासीगण पुराना जीरा
तेहसील जीरा, जिला मुरैना
----- प्राथीगण

बिराध्व

- १- लक्ष्मीनारायण । पुत्राण लोकमन रावत, <
 - २- रामलखन । निवासीगण कबा जीरा,
 - ३- भानुपताप । तेहसील-जीरा, जिला मुरैना
- प्रतिप्राथीगण

निगरानी बिराध्व आवेश दिनांक १४-०८-१४ पारित तेहसीलदार महोदय, जीरा जिला मुरैना प्र०क्र० ३३।क-६।०६-१०। निगरानी अन्तर्गत धारा ५० मध्य प्रदेश राजस्व मून् राजस्व संहिता, १९५६ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।
- २- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।
- ३- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में विधिवत कार्यवाही नहीं की जा रही है ।
- ४- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय में प्राथीगण की ओर से सी०पी०सी के आदेश १३ नियम १० के अधीन, आवेदन पत्र प्रस्तुत प्रथम ही कारण बताये गये थे उन पर क्वार किये बिना ही, स्वीकार किये जाने से इंकार किये जाने में मूल की गई है ।


3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3034-वो/14

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/10/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	